

प्रस्न 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्न आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।]

- राजनैतिक दल का नाम : दूरान्त अयुक्त जातीय पार्टी
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता - बजरंग बाग लाला पाला बाई शायर (द.ग.)
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 29/12/2008
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है. मुंबई... सिविल... पदाधीनकारी (द.ग.)  
AABTC0521F
- वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है, बीरे

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
	<u>निल</u>	<u>निल</u>	<u>निल</u>	<u>निल</u>	<u>20000/- अक्षय यशवंती लाला पाला</u>

\*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन  
मैं, अवधेश कुमार वर्मा (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ मुन्नी लाल वर्मा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रस्न में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, उमर नामित राजनैतिक दल की ओर से कामाधर की अपनी हैसियत में इस प्रस्न को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

अवधेश कुमार वर्मा  
(अभिदायी) प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : 30.06.2008

स्थान मुंबई